बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-07/2016.......29........... /पटना, दिनांक.......28/01/17.......

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

परमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी),

पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सारण, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण(छपरा), सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), प0 चम्पारण (बेतिया), सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बाँका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।

विषयः- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ, 2016 मौसम से लागू होने के फलस्वरुप जिला/पंचायत स्तरीय (अगहनी धान एवं गेहूँ फसल) फसल कटनी प्रयोग के आयोजन एवं सम्पादन के निमित व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना की स्वीकृति के फलस्वरुप अतिरिक्त राशि का आवंटन। कुल आवंटित राशि रु0 51631520/-(पाँच करोड़ सोलह लाख एकतीस हजार पाँच सौ बीस रुपये) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के ज्ञापांक-1455 दिनांक 26.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8,33,00,000/-(आठ करोड़ तैतीस लाख) रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित फसल कटनी प्रयोग (अगहनी धान एवं गेहूँ फसल) संपादन हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में निदेशालय के आवंटनादेश संख्या-12 दिनांक 08.09.2016 द्वारा उप शीर्ष 0120 भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना शीर्ष के अन्तर्गत 31668480/-(तीन करोड़ सोलह लाख अड़सठ हजार चार सौ अस्सी) रुपये का आवंटन आदेश निर्गत किया गया। उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल बजट में पूर्व से राशि का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 50377000/-(पाँच करोड़ तीन लाख सतहत्तर हजार) रुपये का द्वितीय अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया था। जिस पर वित्त विभाग द्वारा उक्त राशि का प्रावधान करते हुए अपने पत्रांक-9-15/BSG-279/2016-1211 दिनांक 15.12.2016 द्वारा व्यय की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कंडिका के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022040120 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक–सह–आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना, सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
5. सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न विवरणी-I के अनुसार राशि की निकासी कर स्वीकृत्यादेश संख्या/ज्ञापांक–1455 दिनांक 26.07.2016 एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के सम्पादन हेतु निदेशालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में नियमानुसार राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–3429 दिनांक–01.04.2015 एवं पत्रांक–5294, दिनांक 17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ–साथ, समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृत्यादेश संख्या–1455, दिनांक– 26.07.2016 के आलोक में भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत अगहनी धान एवं गेहूँ फसल कटनी प्रयोग के आयोजन एवं सम्पादन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में एकमुश्त राशि की निकासी कर नियमानुसार भुगतान करेंगे।

विश्वासभाजन

बजट सहायक प्रशाखा पदा० सहायक निदेशक व०सं० निदेशक 28/2/17

निदेशक 28/2/17

ज्ञापांक 29 /पटना, दिनांक 28/02/17

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक 28/2/17

ज्ञापांक 29 /पटना, दिनांक 28/02/17

प्रतिलिपिः 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 28/2/17

ज्ञापांक 29 /पटना, दिनांक 28/02/17

प्रतिलिपिः 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक 28/2/17

आबंटन विवरणी-I

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0120-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोंजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी। मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022040120

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	31-04 सहायक अनुदान वेतन	31-05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-	7569200	7569200
प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय				-	0	0
2	पटना	-	-	-	22000	22000
3	मुजफ्फरपुर	-	-	-	22000	22000
4	गया	-	-	-	22000	22000
5	दरभंगा	-	-	-	22000	22000
6	सारण	-	-	-	22000	22000
7	भागलपुर	-	-	-	22000	22000
8	सहरसा	-	-	-	22000	22000
9	पूर्णियाँ	-	-	-	22000	22000
10	मुंगेर	-	-	-	22000	22000
जिला सांख्यिकी कार्यालय			-	-		0
11	पटना	-	-	-	1661550	1661550
12	नालन्दा	-	-	-	1358600	1358600
13	भोजपुर	-	-	-	1177700	1177700
14	बक्सर	-	-	-	830550	830550
15	रोहतास	-	-	-	1326750	1326750
16	कैमूर(भभुआ	-	-	-	854350	854350
17	गया	-	-	-	1713800	1713800
18	जहानाबाद	-	-	-	590950	590950
19	अरबल	-	-	-	459250	459250
20	नवादा	-	-	-	1038300	1038300
21	औरंगाबाद	-	-	-	1041350	1041350
22	सारण	-	-	-	1610200	1610200
23	सिवान	-	-	-	1489950	1489950
24	गोपालगंज	-	-	-	1198100	1198100
25	मुजफ्फरपुर	-	-	-	1748000	1748000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	31-04 सहायक अनुदान वेतन	31-05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
26	पूर्वी चम्पारण	-	-	-	2016750	2016750
27	प० चम्पारण	-	-	-	1546500	1546500
28	सीतामढ़ी	-	-	-	1385450	1385450
29	शिवहर	-	-	-	418450	418450
30	वैशाली	-	-	-	1418200	1418200
31	दरभंगा	-	-	-	1577120	1577120
32	मधुबनी	-	-	-	1886850	1886850
33	समस्तीपुर	-	-	-	1807400	1807400
34	मूंगेर	-	-	-	654650	654650
35	लखीसराय	-	-	-	546750	546750
36	शेखपुरा	-	-	-	440100	440100
37	जमुई	-	-	-	849700	849700
38	बेगुसराय	-	-	-	1254100	1254100
39	खगड़िया	-	-	-	713350	713350
40	भागलपुर	-	-	-	1261800	1261800
41	बांका	-	-	-	976750	976750
42	सहरसा	-	-	-	842900	842900
43	सुपौल	-	-	-	963150	963150
44	मधेपुरा	-	-	-	962250	962250
45	पूर्णियाँ	-	-	-	1238900	1238900
46	किशनगंज	-	-	-	703150	703150
47	अररिया	-	-	-	1052450	1052450
48	कटिहार	-	-	-	1248200	1248200
	कुल योगः-	0	-	-	51631520	51631520

(पाँच करोड़ सोलह लाख एकतीस हजार पाँच सौ बीस रुपये)

बजट प्रभारी

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

व०सं० निदेशक

28/2/17

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

02,Fashal katani prayog, 120, 28.02.17